विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तरः

अतारांकित प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
15	(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है?	जी नहीं।
	(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त महाविद्यालयों में कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।
	(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर का प्रयोग अनिवार्य नहीं किया गया है अपितु कार्यालयीय कार्यों, शिक्षण में नवाचार, शोध एवं अन्वेषण एवं पुस्तकालयों में कम्प्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो आज के समय की महती आवश्यकता है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के माध्यम से कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति की जाती है। कनिष्ठ सहायकों के चयन में कम्प्यूटर टंकण हेतु नियमावली दिनांक 22.09.2014 में निम्नवत् अर्हता सम्बन्धी व्यवस्था की गयी है:- 'डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण-पत्र।' इस प्रकार कनिष्ठ सहायक कम्प्यूटर के कार्यों में दक्ष/पारंगत हैं। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शनैः-शनैः कम्प्यूटर का प्रचलन तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस प्रकार कनिष्ठ सहायकों द्वारा कम्प्यूटर के कार्यों में दक्ष/पारंगत होने के फलस्वरूप कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति का कोई आधार/औचित्य नहीं है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री